No. A-22011/02/2011-PC
Government of India
Planning Commission

Applications are invited to fill up the post of Director General (DG), Independent Evaluation Office, in the rank and status of Member, Planning Commission, on contract basis, for a tenure of three years extendable up to five years subject to an upper age limit of 65 years. The details of terms and conditions of appointment, eligibility etc. are given below:-

(A) PAY, ALLOWANCES & PERKS:

The selected candidate will have the following options:-

(i) Pay (less pension in case of retired officials), Dearness Allowance and perks of Secretary to the Govt. of India and status of Minister of State *or*

(ii) Pay, Daily Allowance, perks and status applicable to Minister of State plus pension (without dearness relief) in case of retired officials.

(B) DUTIES ATTACHED TO THE POST :

The Director General will head the Independent Evaluation Office, which is as an attached office of the Planning Commission. He would have full functional autonomy in the matter of discharge of its functions and would be guided by the Development Evaluation Advisory Committee (DEAC). The Director General shall also be a Member of Governing Board of the IEO, chaired by Deputy Chairman, Planning Commission.

ELIGIBILITY

(a) Qualification:

Should possess a post-graduate degree in Economics or Management or Public Policy from a recognized and reputed University/ Institute.

(b) **Experience:**

At least 25 years experience of evaluation of public system *or* of working in public system or in the implementation of flagship programmes or any other relevant research experience at appropriate level backed by suitable publication record.

(c) **Desirability**:

Should be a person of prudent impartial judgement and should have exceptional educational qualifications with sufficient national or international standing in the above areas of expertise.

AGE LIMIT:

The upper age limit for holding the post of Director General, IEO, is 65 years.

TENURE OF CONTRACT:

The tenure of contract shall be 3 years, extendable up to 5 years on the recommendations of the Development Evaluation Advisory Committee subject to upper age limit of 65 years. The terms and conditions of the contract shall be guided by the Minister's Allowances, Medical Treatment and other Privileges Rules, 1957. The Selection Committee will be constituted by the DEAC.

GENERAL CONDITIONS:

(I) Candidates are expected to furnish their full details of track record as per the requirement for eligibility.

(II) Candidates will need to produce proof in support of the information furnished in their applications as and when required.

(III) The outstation candidates, if called for interview, will be paid to and fro actual fare / air fare, which ever is less, on production of proof of journey.

(IV) Applications along with CVs complete in all respects should reach Adviser (PCMD), Planning Commission, Room no. 231, Yojana Bhawan, Sansad Marg, New Delhi-110001, within 45 days from the date of publication of this advertisement in the Employment News.

******

सं.ए.22011/02/2011-पीसी
भारत सरकार
योजना आयोग

सदस्य, योजना आयोग के रैंक व दर्जे में संविदा आधार पर तीन वर्ष की अवधि के लिए महानिदेशक (डीजी), स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय के पद हेतु आवेदन आमंत्रित किया जाता है। अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष की शर्त पर अवधि पांच वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। नियुक्ति, पात्रता आदि के लिए निबंधन व शर्तों के ब्यौरे निम्नानुसार हैः

(क) वेतन, भत्ते व परिलब्धियां

चयनित आवेदक को निम्नलिखित विकल्प दिए जाएंगेः --

(i) भारत सरकार के सचिव का वेतन (सेवानिवृत्त अधिकारियों के मामले में पेंशन घटा कर), मंहगाई भत्ता तथा परिलब्धियां और राज्य मंत्री का दर्जा अथवा

(ii) राज्य मंत्री के लिए लागू वेतन, दैनिक भत्ता, परिलब्धियां व दर्जा तथा सेवानिवृत्त अधिकारियों के मामले पेंशन(बिना मंहगाई भत्ता)

(ख) पद से जुड़े कार्यः

महानिदेशक, स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय, जो कि योजना आयोग का एक संबद्ध कार्यालय है, का अध्यक्ष होगा। कार्यों के निर्वहन के मामले में उन्हें पूर्ण कार्यात्मक स्वायत्तता होगी तथा विकास मूल्यांकन सलाहकार समिति(डीईएसी) द्वारा उन्हें दिशा-निर्देश दिए जाएंगे। महानिदेशक उपाध्यक्ष, योजना आयोग की अध्यक्षता वाली आईईओ शासी बोर्ड का सदस्य भी होंगे।

पात्रता

(क) अर्हता

किसी मान्यता प्राप्त एवं ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से अर्थशास्त्र अथवा प्रबंधन अथवा सार्वजनिक नीति में स्नातकोत्तर की डिग्री।

(ख) **अनुभवः**

सार्वजनिक प्रणाली के मूल्यांकन का या सार्वजनिक प्रणाली में कार्य करने का या फ्लैगशिप कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का न्यूनतम 25 वर्षों का अनुभव या उचित प्रकाशन रिकार्ड द्वारा समर्थित उचित स्तर पर अन्य कोई संगत शोध अनुभव ।

(ग) **वांछनीयताः**

बुद्धिमतापूर्ण निष्पक्ष मूल्यांकन का व्यक्ति होना चाहिए और उपर्युक्त विशेषज्ञता के क्षेत्रों में पर्याप्त राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय पहचान के साथ विशिष्ट शैक्षिक योग्यताएं होनी चाहिए ।

आयु सीमाः

महानिदेशक, आईईओ के पद को धारण करने हेतु अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष है ।

अनुबंध की अवधिः

अनुबंध की अवधि 3 वर्ष होगी, जो विकास मूल्यांकन सलाहकार समिति की सिफारिशों पर 65 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा के अधीन 5 वर्षों तक बढ़ाई जा सकती है । अनुबंध की निबंधन और शर्तें, मंत्री के भत्ते, चिकित्सा उपचार एव अन्य सुविधा नियम, 1957 के अनुसार होंगी । चयन समिति डीईएसी द्वारा गठित की जाएगी ।

सामान्य शर्तें:

(i) उम्मीदवारों से पात्रता हेतु आवश्यकतानुसार उनके पिछले कार्य अनुभव के पूर्ण विवरणों को प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है ।

(ii) उम्मीदवारों को, जब और जैसे आवश्यक हो, अपने आवेदनों में प्रस्तुत सूचना के समर्थन में प्रमाण प्रस्तुत करना होगा ।

(iii) बाहरी उम्मीदवारों को, अगर साक्षात्कार हेतु बुलाया जाता है, यात्रा का साक्ष्य प्रस्तुत करने पर, आने-जाने का वास्तविक किराया/हवाई यात्रा किराया, जो भी कम हो, भुगतान किया जाएगा ।

(iv) सभी तरह से पूर्ण जीवनवृत्तों के साथ आवेदन रोजगार समाचार में इस विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 45 दिनों के अंदर, सलाहकार (पीसीएमडी), योजना आयोग, कमरा नं0 231, योजना भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 के पास पहुंच जाने चाहिए ।